

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)

// आदेश //

दिनांक 02.11.2012



क्रमांक 44/बंधक श्रम/2012, बंधक श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की
उपधारा 2 के अनुसार राजस्व जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए निम्नानुसार जिला
राष्ट्रीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :-

क्र.	नाम/पद का नाम	समिति में पद
1.	जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्रीमती भुवनेश्वरी कुर्रे, सदस्य जिला पंचायत, रायपुर,	सदस्य
	2. श्रीमती बुगल बाई अजगल्ले, सदस्य जिला पंचायत, रायपुर,	सदस्य
	3. श्रीमती संतोषी टंडन पार्षद, नगर पालिका, बलौदाबाजार।	सदस्य
3.	जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता	
	1. श्री परमेश्वर यदु, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर,	सदस्य
	2. श्री अनिल बघेल, निवासी ग्राम लिमाही, बलौदाबाजार।	सदस्य
4.	जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि	
	1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बलौदाबाजार,	सदस्य
	2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, बलौदाबाजार।	सदस्य
5.	जिले में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	
	1. लीड बैंक, बलौदाबाजार।	सदस्य

Amey

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)

// आदेश //

दिनांक 02.11.2012

क्रमांक 44 / बंधक श्रम / 2012, बंधक श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग-भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :-

क.	नाम/पद का नाम	समिति में पद
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य 1. श्रीमती जानकी महिलांग, सदस्य, जनपद पंचायत सिमगा, 2. श्रीमती चंद्रिका ध्रुव, सदस्य, जनपद पंचायत सिमगा।	सदस्य सदस्य
3.	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमती आदिति बाघमार, अध्यक्ष, जनपद पंचायत सिमगा, 2. श्री राकेश तिवारी, निवासी भाटापारा।	सदस्य सदस्य
4.	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भाटापारा, 2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, भाटापारा।	सदस्य सदस्य
5.	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि 1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, भाटापारा।	सदस्य
6.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी 1. तहसीलदार, भाटापारा।	सदस्य/सचिव

क्रमशः 2

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)

// आदेश //

दिनांक 02.11.2012

क्रमांक 44/बंधक श्रम/2012, बंधक श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग-बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :-

क्र.	नाम/पद का नाम	समिति में पद
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्रीमती रत्ना चंदेल, जनपद सदस्य, बलौदाबाजार,	सदस्य
	2. श्री ओमप्रकाश ध्रुव, जनपद सदस्य, बलौदाबाजार।	सदस्य
3.	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता	
	1. श्री नंद कुमार साहू, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, बलौदाबाजार,	सदस्य
	2. श्री बी.पी. ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, बलौदाबाजार।	सदस्य
4.	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदाबाजार,	सदस्य
	2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, बलौदाबाजार।	सदस्य
5.	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि	
	1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बलौदाबाजार।	सदस्य
6.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी	सदस्य/सचिव
	1. तहसीलदार, बलौदाबाजार।	